15 SEP 2017

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

जयपुर, दिनांक :-

कमांक :- प.10(20)आयु./2015

-:: आदेश ::-

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 925/2014 रोहित शर्मा बनाम
सरकार व अन्य में दिनांक 06.10.2016 को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी हेतु भर्ती की विज्ञप्ति संख्या 01/2013 एवं
04/2013 में पारित निर्णय की पालना हेतु दायर अवमानना याचिका संख्या 830/2017 में माननीय 'उच्च न्यायालय
द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2017 की पालना में राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक सेवा
नियम 1973 (संशोधन 2013) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या
4/2013 के परिपेक्ष्य में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के पत्रांक 360 दिनांक 12.09.2017 से प्राप्त
सूचना अनुसार श्री रोहित शर्मा को अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जाने के फलस्वरूप पात्र पाए जाने पर
निम्नांकित शर्तो पर आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर रनिंग पे-बैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे-5400 (संख्या 15) में
2 वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान की
जाती है। निम्न नियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को परीवीक्षाकाल के दौरान नियमानुसार नियत पारश्रमिक
22180/- (अक्षरे बाइस हजार एक सौ अस्सी रूपये/-) मासिक दिया जायेगा :-

क्र.सं.	रजि.नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	वर्ग	प्राप्तांक
1	9168899 /9461857	ROHIT SHARMA	RAVI SHANKER SHARMA	24-10-1982	MALE	GEN	62.56

1. उक्त नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में लम्बित DBCW Review याचिका संख्या 13/2017 तथा विभाग द्वारा राजस्थान राज्य बनाम यादवेन्द्र शाण्डिल्य व अन्य प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. जिसका डायरी नं. 28320/2017 में होने वाले आदेश/ निर्णय के अध्यधीन (Subject to any order/decision) होगी।
2. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को नियमानुसार पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र, संतान संबधित प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धुम्रपान निषेध प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी अपने दस्तावेजों का सत्यापन निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर से करवाने के उपरान्त दिनांक 29.09.2017 तक निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर में कार्यग्रहण कर सकेंगे।
4. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा उक्त श्री रोहित शर्मा के समस्त दस्तावेज यथा जन्मतिथि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, व अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन करने के पश्चात पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएगें।
5. परीवीक्षाकाल में यदि राज्य सरकार की राय में उपर्युक्त चिकित्साधिकारी का कार्य या आचरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता हैं , तो राज्य सरकार इन्हें सेवा से विमुक्त कर सकेगी।
6. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी।
7. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7291/15 जसप्रीत कौर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा याचिका संख्या 10398/13 अजय फूलवारिया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 3152/2011 अशोक कुमार एवं इसके संलग्न अन्य 50 याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश/अंतिम आदेश अध्यधीन होगी।

8 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.14(1)एफ.डी./रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा, यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगी।

9. अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण के समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर त्याग पत्र दे देता है या अन्यत्र कोई नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दोगुणा राशि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा एवं दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी इस बाबत बंधक पत्र निष्पादित करेगा।

आज्ञा से

(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
4. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश में प्रदत्त निदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।
7. संबंधित अभ्यर्थी मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

(फूल चन्द मीणा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांकप.1/प्रति1/चिकि./वि.सं.4/13/2016/16931–34 दिनांक 15.9.17

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान–जयपुर।
2. उप विधि परामर्शी, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
3. श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री रविशंकर शर्मा को दी जाकर लेख है कि नियुक्ति आदेश मे वर्णित दस्तावेज/प्रमाण–पत्र लेकर दिनांक 29.09.2017 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय मे उपस्थित होवे।
4. प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय बैबसाइट पर अवलोड करावे तथा राज्य सरकार को जरिये मैल भिजवाये।
5. सामान्य–पत्रावली।

(स्नेहलता पंवार)
निदेशक